

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार लूणी )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 21/2021</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.03.21</p>	<p>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई, पता 564, मंगल नगर, गुड़ा विश्नोईयों, तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.12.2020 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक-03/499 दिनांक 22.03.2003 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	